फर्द अहकाम

.....देवेन्द्र.....बनाम.....राम बहादुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़

केस संख्या ....48.../2023.....

स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/9/23	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली – बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 25/10/23 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	17,18,19 3/10/23
	25/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेशार्थ दिनांक 3/1/24 को पेश हो।	
	3/1/24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित /अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी आज अवकाश /दौरे/मिटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/3/24 को पेश हो। रीडर	
	6/3/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं या उसके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह मूलवाद ग्रा० प० अधिनियम न्यायालय SDO कोटपूतली के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से विषय न्याय नहीं मिलने से पेश किया गया है लेकिन तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से यह मूलवाद ग्रा० प० साक्षहीन हो गया है। अतः यह मूलवाद ग्रा० प० अधिनियम न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर साक्षहीन/प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। अधिनियम न्यायालय को नियम की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	